अपील सूचना अधिकार संख्या 06/2021 (GCMS 2021/11) RTI No. - 212658429553574 श्वेता राठौड़, एडवोकेट वार्ड नं. 24, चुरू केयर ऑफ राजेश ततरवाल, नीयर जीवन माता मंदिर के पास, चुरू बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री श्वेता राठौड़ उपस्थित नहीं है। **मैंनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12..2020 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को दण्डित करने एवं बिन्दुवार सूचना दिलाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी का पूरा नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता (निवास +कार्यालय) फोन नम्बर सहित प्रदान करें।
2. श्रीमान्जी प्रमि अपीलल अधिकारी का पूरा नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता (निवास+कार्यालय) फोन नम्बर सहित प्रदान करें।
3. श्रीमान्जी जिला कलक्टर (पूल) श्रीगंगानगर में वाहन चालकों के [illegible] द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन [illegible] ने से सम्बन्धित आदेश/राज्य [illegible] प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. श्रीमान्जी लिखित सूचना प्रदान करे। जिला कलेक्टर (पूल) श्रीगंगानगर में वाहन चालकों के पद पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने आवश्यक है अथवा नहीं?

प्रभारी अधिकारी, पूल शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई/193/2020/1214 दिनांक 08.12.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आपका आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2020 आईपीओ संख्या 46एफ 902450 इस कार्यालय को दिनांक 08.12.2020 को प्रापत हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिन्दु संख्या 01 से 04 में आप द्वारा चाही गई सूचना का प्रत्युत्तर निम्नानुसार है।

बिन्दु संख्या 01 से 03 में चाही गई सूचना के पृष्ठों की संख्या 23 है। 02/— प्रति पृष्ठ के हिसाब से कुल 46 रूपये जमा करवाकर सूचना की प्रमाणित प्रति प्राप्त करें।

बिन्दु संख्या 04 — सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है तो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। अतः चाही गई सूचना के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों को चिन्हित कर दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है।

sd/-
अधिकारी (पूल)
(सकर्तता)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:42:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब प्रभारी अधिकारी (पूल) एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर द्वारा उत्तर दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए प्रभारी अधिकारी (पूल) [illegible] जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी [illegible] बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना के लिए कुल [illegible] करवाकर प्राप्त कर सकता है तथा बिन्दु संख्या 04 की सूचना देय नहीं है की बाबत जो आदेश दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

15.12.2020 को दिया गया है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी(पूल) एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:56 IST
Reason: SelfAttested